

Government of Bihar
Home Department
(Police Branch)

NOTIFICATION

No. 1/C.B.I-80-06/2016 HP- 3805 / In exercise of the powers conferred under section-6 of the Delhi Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946), the Governor of Bihar is pleased to accord his consent to exercise of powers and jurisdiction to the whole of Bihar to the members of Delhi Special Police Establishment to investigate / supervise and inquire into the Siwan Town P.S Case No. 362/16, dated 13.05.2016 u/s 302/120 (B)/34 I.P.C and 27 Arms Act which is related to Murder of reporter Rajdev Ranjan.


By order of the Governor of Bihar


(Ranjan Kumar Sinha)

Joint Secretary to Government.

No.1/C.B.I-80-06/2016 HP- 3805 /Patna, Dated 16 May, 2016


Copy forwarded to Superintendent, Govt. Press, Gulzarbag, Patna for publication in extra ordinary Bihar Gazette / Incharge, E-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna (with CD) for information and necessary action.


Joint Secretary to Government.

No.1/C.B.I-80-06/2016 HP- 3805 /Patna, Dated 16 May, 2016


Copy forwarded to :-

1. (i) Under Secretary, Ministry of Personnel & Public Grievances and Pension, Department of Personnel and Training, Govt. of India, New Delhi along with proper proforma and copy of F.I.R.
(ii) Director CBI, C.G.O Complex, Lodhi Road, New Delhi
(iii) Director General of Police, Bihar Patna
(iv) D.I.G, C.B.I, Dr. Sri Krishna Path, Bailey Road, Patna
for information and necessary action.
2. Director General of Police, Bihar Patna is requested to hand over all the papers related to the case to the CBI on their request.


Joint Secretary to Government.

No.1/C.B.I-80-06/2016 HP- 3805 /Patna, Dated 16 May, 2016

Copy forwarded to Addl. Secretary, Ministry of Home Affairs, Room No. 114 B, North Block, New Delhi-110001 for information and necessary action.


Joint Secretary to Government.

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

संख्या-1/सी0बी0आई0-80-06/2016-गृ0आ0- 3805 /दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम-1946 (1946 का अधिनियम-25) की धारा-6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, सिवान नगर थाना कांड सं0-362/16, दि0 13.05.2016, धारा-302/120 (बी0)/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट जो पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या से संबंधित है, के अनुसंधान/पर्यवेक्षण एवं अन्य अपेक्षित कार्रवाई के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को समूचे बिहार राज्य में शक्तियों एवं अधिकारिता के प्रयोग के लिए सहमति देते हैं ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रंजन कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/सी0बी0आई0-80-06/2016 गृ0आ0 3805 /पटना, दिनांक 16 मई, 2016

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7/प्रभारी ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/सी0बी0आई0-80-06/2016 गृ0आ0 3805 /पटना, दिनांक 16 मई, 2016

प्रतिलिपि:-

- (i) अवर सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली को विहित प्रपत्र एवं प्राथमिकी की प्रति के साथ ।
(ii) निदेशक, सी0बी0आई0, सी0जी0ओ0 कम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली ।
(iii) पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना ।
(iv) आरक्षी उप-महानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, डॉ0 श्री कृष्ण सिंह पथ, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।
- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना से अनुरोध है कि इस मामले से संबंधित सारे कागजात मांगे जाने पर सी0बी0आई0 को तुरंत उपलब्ध करा दें ।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/सी0बी0आई0-80-06/2016 गृ0आ0 3805 /पटना, दिनांक 16 मई, 2016

प्रतिलिपि:- अपर सचिव, गृह मंत्रालय, कमरा नं0-114/बी0, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।